

दिनांक 24.12.18 को पेश हो

डिविजनल कमिश्नर  
जोधपुर

24.12.18

अपीलान्ट व रेस्पॉण्डेंट के अफिदवित्त का  
उपस्थित / उपस्थित अफिदवित्त को  
बदल सुनी गयी। बाद सुनवाई  
पत्रावली के आदेश हेतु निर्णय  
1.1.19 को पेश हो

डिविजनल कमिश्नर  
जोधपुर

1.1.19

पत्रावली पेश हुई निर्णय सरे इजलास सुनाया गया तथा  
पृथक से लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर पत्रावली के संलग्न किया  
गया। निर्णयानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा  
अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत  
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में से त्रुटिवश  
बिलानाम दर्ज भूमि को पुनः अपीलान्ट के खातेदारी में अंकित  
करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से  
कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की सत्य  
प्रति के साथ पुनः लौटायी जावे।

( ललित कुमार गुप्ता )

डिविजनल कमिश्नर, जोधपुर  
जोधपुर

में निम्न प्रकार अंकित थी -